न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 81/2016
पंजीयन दिनांक 15.09.2016

(1). उम्मेदसिंह पिता राजसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). बगतूसिंह पिता राजसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/1 भोपालसिंह पिता बगतूसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/2 दुर्गासिंह पिता बगतूसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/3 किशोरसिंह पिता बगतूसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/4 धनकंवर पुत्री बगतूसिंह पत्नी दयालसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया हाल धरोल तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

2/5 रघुकंवर पुत्री बगतूसिंह पत्नी भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया हाल धरोल तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

2/6 प्रेमकंवर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी दयालसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/7 धापूकंवर पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया हाल धरोल तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

छोटूसिंह पिता माधुसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 233/2015 प्रार्थना-पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1).विनोद कुमार जैन -अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 01.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के अन्तर्गत विपक्षीगण अपीलांटगण के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भीमपुरिया तहसील चित्तौड़गढ़ मे आराजी संख्या 76, 77, 78, 80, 85, 86 कुल किता 7 कुल रकबा 3.02 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजीयात मे आने-जाने हेतु अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजी संख्या 68 की उत्तरी मेड़ पर होते हुए, आराजी चाह संख्या 65 पर होते हुए आराजी संख्या 157/64 की उत्तरी मेड़ पर होते हुए अपनी उक्त आराजीयात पर आते-जाते है, उक्त रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के समय से ही विद्यमान होकर मौके पर 12 फीट चौड़ी गडार बनी है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांटगण विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर आने-जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटगण विपक्षीगण ने वर्तमान मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता रोक दिया है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को स्वयं की आराजीयात पर आने-जाने मे काफी परेशानी हो रही है। उक्त रास्ते को बन्द करने का अपीलांटगण विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से अपीलांटगण विपक्षीगण की आराजीयात मे से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण की आराजीयात मे से वांछित रास्ते की नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण विपक्षीगण की आराजीयात मे से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र नियत की गई। दिनांक 22.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी गई। लोक अदालत के तहत प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीमपुरिया की रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 61 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी सख्या 63 मे से 0.005 हैक्टेयर आराजी संख्या 64 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66 मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67 मे से 0.001 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.035 हैक्टेयर का उपयोग रास्ते के दक्षिणि भाग तथा विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 157/64 मे से 0.01 हैक्टेयर व आराजी संख्या 158/63 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी संख्या 159/66 मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 160/67 मे से 0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.035 हैक्टेयर का उपयोग रास्ते के उत्तरी भाग, इस प्रकार कुल 0.07 हैक्टेयर मे से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात मे आने-जाने हेतु 0.07 एयर भूमि कीमतन डीएलसी रेट अनुसार 32,200 रूपये की दोगुना राशि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कुल राशि 64,400 रूपये कीमत का भुगतान अपीलांटगण विपक्षीगण खातेदार को भुगतान किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया। साथ ही उक्त राशि का भुगतान अपीलांटगण विपक्षीगण को किये जाने बाबत उक्त राशि का ड्राफ्ट अपीलांटगण विपक्षीगण के नाम हिस्से अनुसार बनाकर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किये जाने हेतु प्रस्तुत करे। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतु संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भेजी जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त भूमि को बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण विपक्षीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली अपीलांटगण विपक्षीगण की तामील व जवाब हेतु नियत थी जिसे बिना तामील व बिना जवाब व बिना विपक्षीगण अपीलांटगण की जानकारी के लोक अदालत कैम्प मे रखा जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीमपुरिया की रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 61 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी सख्या 63 मे से 0.005 हैक्टेयर आराजी संख्या 64 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी संख्या 66 मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 67 मे से 0.001 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.035 हैक्टेयर का उपयोग रास्ते के दक्षिणि भाग तथा विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 157/64 मे से 0.01 हैक्टेयर व आराजी संख्या 158/63 मे से 0.005 हैक्टेयर, आराजी संख्या 159/66 मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 160/67 मे से 0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.035 हैक्टेयर का उपयोग रास्ते के उत्तरी भाग, इस प्रकार कुल 0.07 हैक्टेयर मे से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात मे आने-जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...ा गया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक स्थाई निषेधाज्ञा बाबत रास्ता खुलवाने का वाद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क.ख.) चित्तौड़गढ मे पेश किया जो मुकदमा नम्बर 83/2006 रतनसिंह वगैरा बनाम उम्मेदसिंह वगैरा दिनांक 11.04.2008 को खारिज हुआ, जिसकी अपील प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ मे प्रस्तुत की जो मुकदमा नम्बर 03/2008 पर दर्ज होकर दिनांक 29.08.2008 को उक्त अपील खारिज हुई जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं की गई है। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता दिनांक 21.10.2008 को किया जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मौजा भीमपुरिया स्थित है, उक्त आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से ही रास्ता सड़क से गाड़ी ट्रेक्टर कल्याणसिंह जी की जमीन मे होकर कालुसिंह पिता इन्द्रसिंह के जमीन के पानी की निकासी वाली खाई के सहारे सीधी बाली के किनारे तक चली जायेगी। अभयसिंह की जमीन के निचले हिस्से मे से बाली के किनारे-किनारे माधुसिंह की जमीन मे चली जायेगी। अभयसिंह की जमीन के बदले भी माधुसिंह जमीन देंगे , यह जमीन स्वर्गीय माधुसिंह के पुत्र शंकरसिंह, जसवंतसिंह, रघुवीर सिंह , जौधसिंह सभी जमीन के बदले जमीन देंगे। इसी समझौते के अनुसार रास्ते से होकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपनी आराजी पर आते जाते रहे है, जिसमे अपीलांटगण विपक्षीगण व दीगर व्यक्तियों द्वारा अब तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की गई है। फिर भी रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपने धन-बल से जबरन अपीलांटगण विपक्षीगण के जमीन के बीचोबीच रास्ता निकालना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उक्त रास्ते संबंधी प्रकरण जो सिविल न्यायालय से निरस्त हो गया व उसकी अपील भी खारिज हो गई है। इस प्रकार एक ही वादग्रस्त आराजी से संबंधित प्रकरण पूर्व मे निर्णित हो चुका है जिससे उसी रास्ते के लिये दोबारा वाद नहीं लाया जा सकता है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रेसज्युडिकेटा से बाधित होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 22.06.2016 के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजीयात मे आने-जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजी मे विद्यमान है, उक्त विद्यमान रास्ता जो पर्चा मौका दिनांक 22.06.2016 के अनुसार विपक्षीगण की आराजीयात मे होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आराजी तक जाता है, जिसे विपक्षीगण द्वारा बन्द किया जाना अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात मे विद्यमान होने व इसके अलावा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

थ वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही होने से विपक्षीगण की आराजीयात मे विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांट विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त रास्ते संबंधी प्रकरण सिविल न्यायालय मे लम्बित था जिसे सिविल न्यायालय द्वारा मेरिट पर निर्णित नहीं किया जाकर साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से खारिज किया है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा कायम किये गये रास्ते की भूमि के एवज राशी का डिमांड ड्राफट भी जमा किया जा चुका है। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.06.2016 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली विपक्षीगण की तामील व जवाब हेतु नियत थी जिसे विपक्षीगण की बिना तामील व बिना जवाब के लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की आराजीयात मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे वांछित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है, उक्त रास्ते के संबंध मे यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि उक्त वांछित रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। साथ ही वैकल्पिक रास्ता कितनी दूरी पर स्थित है, इसका भी अंकन प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शे मे नही किया गया है जिससे वाछित रास्ता वैकल्पिक रास्ते की तुलना मे एकमात्र निकटतम व सुविधाजनक होना प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण विपक्षीगण को बिना सुने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरुप अपील अपीलांटगण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2022 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजीयात की उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का रिपोर्ट तलब की जाकर, विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य लिवायी जाकर, गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय प्रकरण का 3 माह मे निस्तारण करे। उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.10.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)